



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1993/पौष 7, 1915

No. 789]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 1993/PAUSA 7, 1915

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1993

का. आ. 1041(अ):— केन्द्रीय सरकार, वीज अधिनियम 1966 (1966) का 54) की धारा 6 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय वीज संचालन में परामर्श के पश्चात् नीचे की शर्तों के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित संकर फसलों के बीजों की आनुवंशिक शुद्धि आरम्भ (3) में उपदिशित सीमा तक विनिर्दिष्ट करती है, और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), को अधिसूचना संख्या का. आ. 882(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 1991, इसके

2957GI/93

(1)

द्वारा संकर फसलों के बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट करते हुए राजस्वसार संशोधित की जाएगी, अर्थात् —

सारणी

क्रम संख्या	फसल	आनुवंशिक शुद्धता प्रतिशत
1	2	3
1. अरुण्डी		85%
2. कपास		90%
3. असली भालू बीज		99%
4. खरबूजा		90%
5. बैंगन		90%
6. टमाटर		90%

2. लेवल लगे बीजों की न्यूनतम आनुवंशिक शुद्धता प्रतिशत (प्रतिशत में) जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, शून्य संकर फसलों के लिए 95% रहेगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[क्र. सं. 17-2/93-एस. डी. IV]

गोता श्रीवा नायर, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 1041(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby specifies the Genetic purity of the seeds of the following hybrid crops specified in column (2), to the extent indicated in column (3), of the Table below, and for that purpose the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and